न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—29 / 2007

सोहनसिंह पुत्र श्री सरदारा सिंह जाति मजबीसिख निवासी 1 बी.एन.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— **वादी**

बनाम्

1.—महेन्द्र सिंह पुत्र श्री फीलासिंह जाति मजबीसिख निवासी 30 ए.पी.डी.
2.—रेशमसिंह
3.—कौरसिंह
4.—पालसिंह
5.—सुरेणसिंह
पिसरान महेन्द्र सिंह अकवाम मजबी सकनाऐं 30 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ

————**प्रतिवादीगण**

<u>वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

::निर्णय:: **दिनांक—07 / 11 / 2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सरदारा सिंह पुत्र श्री फीलासिंह जाति मजबी के नाम से चक 2 बीएनएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.—332 / 398 के किला नं.—1ता25 कुल 25 बीघा पुख्ता आवंटन है। सरदारासिंह की मृत्यु दिनांक—10.09.94 को हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र वा जमाबंदी की नकल संलग्न वाद है जिसे आगे चलकर वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि कहा जायेगा। यह कि मूल खातेदार सरदारासिंह लाऔलाद होने के कारण हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार व्यक्ति के लड़के का होना जरूरी है इसी विचार के साथ श्री सरदारासिंह ने अपने जीवनकाल में वादी की छोटी उम्र में ही वादी के पिता से वादी को गोद लेकर अपने रिति रिवाज के अनुसार गोद लेते समय गांव के मौजिज व्यक्तियों की पंचायत बुलाकर उनको खाना व मिठाई खिलाई तथा पूरे गांव की पंचायत के सामने वादी को अपना पुत्र मानकर लालनपालन आरम्भ कर दिया तथा वाद पत्र में दर्ज भूमि को आंवटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते समय परिवार के सदस्यों के रूप में वादी को नाम बतौर लड़का दर्ज किया व अपनी माता का नाम दर्ज किया। इस तरह से श्री सरदारासिंह का एक मात्र जायज वारिस वादी है। वादी अपनी छोटी उम्र मे ही सरदारासिंह के घर रहकर बडा हुआ वादी व्यस्क होने से पूर्व वाद मे दर्ज कृषि भूमि को सरदारासिंह क साथ सरदारासिंह के साथ खेती कार्य में सहायता करता रहा जैसे वादी खेती कार्य करने मे सक्षम हुआ तो वादी वाद में दर्ज कृषि भूमि को काश्त करना आरम्भ कर दिया वादी अपने पिता सरदारासिंह के जीवनकाल के समय से ही वाद पत्र में दर्ज भूमि को काश्त करता चला आ रहा है वादी के पिता सरदारासिंह की मृत्यु के पश्चात वादी उक्त कृषि भूमि काश्त करता आ रहा है। वादी ने वाद मे दर्ज कृषि भूमि को अपने आर्थिक एवं शारिरिक श्रम से समतल करे उपजाऊ कृषि भूमि बनायी । उपजाऊ हो जाने के बाद कृषि भूमि काफी कीमती व अच्छी फसल देने लगी। उपजाउ हो जाने पर प्रतिवादी संख्या—01 जो कि सरदारासिंह का भाई है तथा प्रतिवादी सं.—2ता4 जो सरदारासिंह के भतीजे है कि दिल में बेईमानी आ गयी तथा उक्त कृषि भूमि को हड़पने

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 10:54:32 IST
Reason: SelfAttested

की नियत से मिलकर एक षडयंत्र रचा जिस षडयंत्र के तहत वादी के पिता सरदारासिंह के देहांत हो जाने के बाद वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे वादी प्रतिवादी सं.–1ता5 के जबरन कब्जा करने का विरोध करता रहा तथा प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा नही करने दिया। इसी दौरान प्रतिवादी सं.–1 ने अपने लडकों प्रतिवादी सं.–2ता5 के साथ मिलकर वाद पत्र में वर्णित भूमि के 15 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तथा 10 बीघा भूमि वादी के पास रहने दिया। क्योंकि प्रतिवादी सं.–2ता4 अपने आपकों मूल आंवटी सरदारासिंह का वारिस मानते है। जबकि वादी आवंटी का प्रथम श्रेणी का वारिस है। प्रतिवादी काफी चालाक वा होशियार व्यक्ति है प्रतिवादी सं. –2 सरपंच है प्रतिवादीगण मिलकर इस कृषि भूमि को हड़पने की नियत से एक फर्जी वसीयत श्री सरदारासिंह के मृत्यु के पश्चात पिछली तारीखों में तैयार करके पंजीकृत करवा ली उस तथाकथित वसीयत के आधार पर अपने आपको सरदारासिंह का वारिस घोषित कर दिया। सरदारासिंह ने अपने जीवनकाल मे कोई भी वसीयत प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर नही करवाई। प्रतिवादीगण के पक्ष में तथाकथित वसीयत आरम्भ से ही प्रभावशुन्य है। वादी के हितों पर प्रभावशुन्य दस्तावेज होने के कारण कोई असर नही डालती है तथा ना ही प्रभावशून्य दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादीगण का वाद पत्र में दर्ज भूमि में कानूनी रूप से कोई हित निहित है। प्रतिवादीगण वाद पत्र मे दर्ज भूमि पर रैंक ट्रैसपार्सर की हैसियत से काबिज है। वादी ग्राम पंचायत 1 बीएनएम से सरदारासिंह की मृत्यु के पश्चात वारिस प्रमाण पत्र लेने गया तो सरपंच जो कि प्रतिवादी सं.–02 है ने वादी को वारिसाना प्रमाण पत्र नही देकर वादी के साथ वसीयत के आधार पर अपने व अपने भाईयों को वारिस घोषित किया है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक मात्र वादी प्रथम श्रेणी का वारिस है। वादी ने प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा करने व वाद पत्र में दर्ज भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करने के संबंध में ग्राम पंचायत 1 बीएनएम में पेश होकर इंतकाल दर्ज करने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं.–01 ने एलानिया कहा कि मेरा लड़का सरपंच है मैं इंतकाल नही होने दूँगा तथा ना ही कब्जा जमीन का छोडुंगा। वादी को सरदारासिंह ने बचपन से अपने गोद ले लिया तथा वादी ने श्री सरदारासिंह को अपना पिता मानकर उनकी सेवा चाकरी की तथा सरदारा सिंह का देहांत होने पर वादी ने एक लड़के की हैसियत से सरदारासिंह के अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म आदि किये व पिण्डदान किया है वादी मौखिक रूप से श्री सरदारासिंह का गोद लिया हुआ पुत्र है। प्रतिवादी सं.–01 के एलानिया धमकी देने पर चक 1 बीएनएम के मौजिज व्यक्तियों की पंचायत बुलाई जिससे प्रतिवादीगण आये वादी ने प्रतिवादी गण को पंचायत के सामने समझाने का प्रयास यिका तथा कहा कि वादी सरदारासिंह का एक मात्र पुत्र व वारिस है क्योंकि सरदारासिंह ने वादी को अपने जीवन काल मे ही गोद ले लिया था व अपना लड़का मान कर पाला है इस तरह वादी वाद पत्र में दर्ज भूमि को विरास्त में पाने का अधिकारी है इस पर प्रतिवादी ने दिनांक–31.03.2007 को वादी को धमकाते हुये एलानिया कहा कि हमारा लड़का सरपंच है इंतकाल सरपंच तस्दीक करेगा हम इंतकाल दर्ज नही होने देंगे तथा ना ही कब्जा भूमि छोडेगे। पंचायत ने भी समझाईश की परन्तु प्रतिवादीगण नही माने। बस यही वाद कारण है जो दिनांक–31.03.2007 को प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 10:54:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1ता5 को तलब किया गया। अधिवक्ता श्री अमित त्यागी ने प्रतिवादी संख्या–1,3ता5 की तरफ से वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि सरदारासिंह पुत्र फीलासिंह के नाम से

चक 2 बीएनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–332/398 के किला नं.–1ता25 का कुल 25 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन होना स्वीकार है तथा सरदारासिंह की मृत्यु दिनांक 10.09.94 का होना स्वीकार है। वादी को सरदाराराम ने कभी गोद नही लिया एव ना ही वादी के पिता महेन्द्रसिंह ने ही कभी वादी को गोद लिया। सभी तथ्य गलत दर्ज किये गये है। सरदाराराम लाऔलाद फौत हो चुका था जिसने अपने जीवनकाल मे किसी को गोद नही लिया जो कि प्रतिवादी सं.–01 महेन्द्र सिंह के साथ रहता था। सरदाराराम आंखों से अंधा था जिसकी जीमल शुरू से ही महेन्द्रसिंह संभालते थे। सभी तथ्य वादी द्वारा मनगढत व झुठे दर्ज किये गये है इसलिए इस मद में तथ्य गलत दर्ज होने के कारण स्वीकार नही है। सरदाराराम की कृषि भूमि मुताबिक रजि. वसीयत के अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण काबिज है तथ शांतिपूर्ण काश्त करते चले आ रहे है। सरदाराराम शुरू से ही अंधा होने के कारण अपने भाई से ही अपनी जमीन संभलवाता था तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने ही अपने भाई की भूमि को सुधारकर उपजाऊ बनाई थी तथा सरदाराराम ने अपनी पूरे होशो हवास मे रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी सं.–01 व उसके लड़कों मे बराबर वसीयत करवाई थी तथा अपने जीवनकाल में ही उक्त वसीयत की पालना में कब्जा प्रतिवादी संख्या–01 व उसके लड़कों का करवा दिया था जो आज भी मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत के उक्त भूमि पर काबिज है। अब कब्जा करने के तथ्य मनगढत दर्ज होने के कारण स्वीकार नही है। कब्जा शुरू से ही शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वसीयत रजिस्टर्ड है तथा सरदाराराम द्वारा अपनी इच्छा से कराई गई है। वादी का मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत 1/6 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है।वादी सरदाराराम का एकमात्र वारिस नही है क्योंकि कि सरदाराराम ने भी अपने जीवनकाल मे वादी को गोद नही लिया एव ना ही वादी के पिता महेन्द्रसिंह पुत्र फीलासिंह ने वाद का सरदाराराम को गोद दिया। सरदाराराम की रजिस्टर्ड वसीयत है उसी के अनुसार इंतकाल होना है वादी गोदपुत्र ही अपने आपको साबित नही कर पाया जो उसके नाम से इन्तकाल चढना सम्भव एवं कानूनी रूप से भी उचित नही है। सरदाराराम का अंतिम संस्कार व क्रियाक्रम प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा किया गया था। पिण्डदान भी प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा किया गया था वादी को कभी भी सरदाराराम ने मौखिक रूप से गोद नही लिया था। जब वादी को गोदपुत्र होना ही हासिल नही है तो दावा लाने का अधिकार ही नही है। दावा मियाद बाहर पेश किया गया है एवं उचित कोर्टफीस पर भी दावा पेश नही किया गया। वादी को गोदपुत्र होना ही साबित नही है तो उक्त अनुतोष पाने का किस प्रकार अधिकारी हो सकता है।

अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि सरदाराराम लाऔलाद ही फौत हुआ था उसने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नही लिया था। सरदाराराम द्वारा अपने जीवनकाल मे श्री महेन्द्रसिंह के लड़कों को बराबर–बराबर रजिस्टर्ड वसीयत करवाई गई है जिसकी पालना मे ही कब्जा अपने जीवनकालमे सभी को बराबर बांटकर दिया था। जिसके अनुसार ही प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। महेन्द्रसिंह ने अपने पुत्र को कभी भी सरदाराराम को मौखिक गोद नही दिया एव ना ही सरदाराराम ने कभी अपने जीवनकाल में वादी को गोद नही लिया एवं ना ही कोई महेन्द्रसिंह ने गोद देने की सहमति प्रदान की। आवंटन आदेश में फोटो साथ में संलग्न होने से गोदपुत्र नही माना जा सकता है क्योंकि अन्य कोई फोटो ना होने के कारण से ही आवंटन प्रार्थना पत्र पर घरेलू यही फोटो चस्पा कर देने से वादी को गोदपुत्र बनने का अधिकार प्राप्त नही हो जाता है, जबकि सरदाराराम अपने ही जीवनकाल में रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 10:54:32 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं.–01 के पुत्रों को बराबर बराबर देकर गया है इसलिए भी दावा प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है।

वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.–01 महेन्द्रसिंह का देहांत हो चुका है। मृतक प्रतिवादी महेन्द्रसिंह वारिसान पूर्व में पक्षकार बनाऐ हुए है जो अप्रार्थीगण सं.–2ता5 है इसलिए मृतक के वारिसान पूर्व में रिकॉर्ड पर है। न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं.–01 के नाम के आगे लाल स्याही से मृत्तक का अंकन किया गया।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक दिनांक 28.05.2008 को कायम किए गए तत्पश्चात वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 पेश कर संशोधित तनकीयात कायम करने का अनुरोध किया गया जिस पर संशोधित तनकी कायम की गई।–

1. आया कि वादी आवंटी सरदारासिंह पुत्र खीलासिंह का प्रथम श्रेणी का वारिस है। वादी चक 2 बीएनएम का मुरब्बा नं.–332/398 के किला नं.–1ता25 का कुल 25 बीघा का खातेदार कृषक है वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। वादी अपने पक्ष में डिक्री पाने का अधिकारी है?

———जिम्मे वादी

2 . आया कि वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण सं.–1ता5 बतौर अतिक्रमी काबिज है, उन्हे अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जावें।

———जिम्मे वादी

3. आया कि आवंटी सरदारासिंह ने वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि की एक वसीयत प्रतिवादीगण संख्या–2ता5 के पक्ष मे तहरीर की है। वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण वाद में दर्ज कृषि भूमि में कानूनी रूप से अपने नाम इंतकाल दर्ज करवाने के अधिकारी है, उसी अनुसार कानूनी रूप से काबिज है?

———जिम्मे प्रतिवादी 1,3,4,5

4. अनुतोष

वाद/अभिवचनों के समर्थन में वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 सोहनसिंह स्वयं के एवं पी. डब्ल्यू–राजसिंह के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी मुरब्बा नं.–8 पत्थर नं.–332/398 की प्रति, प्रदर्श–2 आवंटन के लिए आवेदन पत्र मय शपथ पत्र, प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 आवंटन आदेश प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 सरदारासिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–6 मतदाता सूचि की प्रमाणित प्रति पेश कर प्रदर्शित करवायी गयी। प्रतिवादीगण सं.–2ता5 को दिनांक 22.02.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई व उनकी तरफ से कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नही किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 10:54:32 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. आर.आर.टी. 2001 पेज नं.–297 Heera Lal vs. Board of Revenue & Ors.
2. 2017(SUPP.) CCC 001(S.C.)
   Kamla Rani Vs Ram Lalit Rai @Lalak Rai (D) Thr. LRs& Anr

Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 S.11(vi),Evidence Act,1872,S.114 Adopation-Presumption- Factum of adoption and its validity to be duly proved formal ceremony of giving and taking is an essential intredient for a valid adoption but long duration of time during which a person is treated as adopted cannot be ignored and by itself may in circumstances carry a presumption in favour of adoption.

वकील वादी की बहस सुनी गई। राजपैरोकार को सुना गया। वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

तनकीवार न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

1. आया कि वादी आवंटी सरदारासिंह पुत्र खीलासिंह का प्रथम श्रेणी का वारिस है। वादी चक 2 बीएनएम का मुरब्बा नं.–332/398 के किला नं.–1ता25 का कुल 25 बीघा का खातेदार कृषक है वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। वादी अपने पक्ष में डिक्री पाने का अधिकारी है ?

———जिम्मे वादी

उक्त तनकी पर न्यायालय की विवचना इस प्रकार है कि वादाधीन कृषि भूमि सरदाराराम को आवंटित हुई थी। वादी ने अपन आप को दतक पुत्र बताया है लेकिन वादी ने अपनों कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज यथा गोदनामा,शपथ पत्र या अन्य कोई दस्तावेज न्यायालय में दौराने साक्ष्यवादी पेश नही कर प्रदर्शित नही करवाया है जिसे ये साबित हो सके के सरदारासिंह ने वादी को गोद लिया था जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि मेरे को महेन्द्रसिंह को गोद लेने के कागज है जो मैं आज साथ नही लाया ये बात सही है कि मैंने गोदनामा का कोई कागज पेश नही किया। वादी की और से प्रस्तुत गवाह राज सिंह ने अपने ब्यानो में कथन किया है कि आवंटी सरदारासिंह उनका ताया है सरदारासिंह लाऔलाद फौत होने के कारण सरदारासिंह ने अपने जीवन काल में ही हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार सोहनसिंह को गोद लिया था। सोहनसिंह ने ही सरदारासिंह की मृत्यु के बाद उसका क्रिया क्रम किया था। जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि मेरे को गवाही देने के लिए सोहन सिंह लेकर आया है मेरे सामने गोदनामा की लिखा पढ़ी नही हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से तनकी संख्या जिसको साबित करने का भार वादी पर था, को वादी साबित करने में असफल रहा है फलतः तनकी सं.–01 का विनिश्चय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

2. आया कि वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण सं.–1ता5 बतौर अतिक्रमी काबिज है, उन्हे अतिक्रमी घोषित किया जाकर [illegible] किये जाने के आदेश दिये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 10:54:32 IST
Reason: SelfAttested

———जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है चूंकि तनकी संख्या 01 निस्तारण वादी के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका है। वादी अपने आप को आवंटी सरदारासिंह को दतक पुत्र साबित करने में असफल रहा है। इसलिए तनकी संख्या 02 का भी विनिश्चय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

3. आया कि आवंटी सरदारासिंह ने वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि की एक वसीयत प्रतिवादीगण संख्या–2ता5 के पक्ष मे तहरीर की है। वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण वाद में दर्ज कृषि भूमि में कानूनी रूप से अपने नाम इंतकाल दर्ज करवाने के अधिकारी है, उसी अनुसार कानूनी रूप से काबिज है?

——जिम्मे प्रतिवादी 1,3,4,5

तनकी संख्या–03 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–1,3ता5 पर है जिसे साबित करने के लिए प्रतिवादीगण की तरफ से किसी दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य प्रतिवादीगण की तरफ से पेश नही की गई है। इसलिए उक्त तनकी का निस्तारण प्रतिवादी संख्या–1,3ता5 के विरूद्ध तय किया जाता है।

4. **अनुतोष–**

चूंकि तनकी संख्या–4 अनुतोष से संबंधित है वादी तनकी संख्या–01 को साबित करने में असफल रहा है इसलिए वह न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

चूंकि तनकी संख्या–01 एवं 02 का विनिश्चय वादी के विरूद्ध तय किया गया है। वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। फलतः वादी वाद में वर्णित अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। डिक्री पर्चा तदनुसार मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक–07/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 10:54:32 IST
Reason: SelfAttested